Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में ग्राम विकास अधिकारी 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 मई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसआईयू जयपुर इकाई द्वारा आज दौसा में कार्यवाही करते हुये **नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराड़ा पंचायत समिति सिकन्दरा जिला दौसा** को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की एसआईयू जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि स्कूल में कमरों एवं नालों के निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान करने की एवज में नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराड़ा पंचायत समिति सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा बतौर कमीशन **32 हजार 500 रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की एसआईयू जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप सारस्वत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सज्जन कुमार** द्वारा मय टीम के दौसा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी नितेश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ब्राह्मण बैराड़ा पंचायत समिति सिकन्दरा जिला दौसा को परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**